<u>प्रेस के लिए सूचना नोट (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 13/2024)</u>

<u>तत्काल प्रकाशन हेतु</u>

<u>भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण</u>

भादूविप्रा द्वारा दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (नौवां संशोधन) विनियम, 2024 जारी किया गया।

नई दिल्ली, 14 मार्च, 2024 - भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने आज **दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (नौवां संशोधन) विनियम, 2024** जारी किया है।

2. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा जारी दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी विनियम, 2009 (2009 का 8) के माध्यम से देश में मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) के लिए एक विनियामक ढांचा निर्धारित किया गया है। दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी विनियम, 2009 के अब तक आठ संशोधन जारी किए जा चुके हैं।

3. हाल के दिनों में, दूरसंचार विभाग ने अपने विभिन्न पत्राचारों के माध्यम से मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी हेतु विनियामक ढांचे के संबंध में भादूविप्रा को कुछ सुझाव दिए हैं। दूरसंचार विभाग द्वारा दिए गए इन सुझावों को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण ने दिनांक 27.09.2023 को हितधारकों के साथ परामर्श हेतु दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (नौवां संशोधन) विनियम, 2023 का मसौदा जारी किया था। मसौदा संशोधन विनियमों में उठाए गए मुद्दों पर हितधारकों से दिनांक 25.10.2023 तक लिखित टिप्पणियाँ आमंत्रित की गई थीं। तत्पश्चात हितधारकों के अनुरोध पर टिप्पणियां प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि दिनांक 08.11.2023 तक बढ़ा दी गई थी। इसके जवाब में हितधारकों से 13 टिप्पणियाँ प्राप्त हुई थीं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिनांक 22.02.2024 को हितधारकों के साथ एक खुला मंच (ओपन हाउस डिस्कशन) चर्चा बुलाई गई थी।

4. इन संशोधन विनियमों का उद्देश्य अनैतिक तत्वों द्वारा फर्जी सिम स्वैप या प्रतिस्थापन के माध्यम से मोबाइल नंबरों को पोर्ट करने की प्रथा पर रोक लगाना है। इन संशोधन विनियमों के माध्यम से, यूपीसी के आवंटन के अनुरोध को अस्वीकार करने के लिए एक अतिरिक्त मानदंड की शुरुआत की गई है। विशेष रूप से, यदि यूपीसी के लिए अनुरोध सिम स्वैप या मोबाइल नंबर के प्रतिस्थापन की तिथि से सात दिनों की समाप्ति से पहले किया गया है, तो उस स्थिति में यूपीसी आवंटित नहीं किया जाना चाहिए।

5. दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (नौवां संशोधन) विनियम, 2024 भादूविप्रा की वेबसाइट (www.trai.gov.in) पर उपलब्ध है।

6. किसी भी स्पष्टीकरण/जानकारी के लिए, श्री अखिलेश कुमार त्रिवेदी, सलाहकार (नेटवर्क, स्पेक्ट्रम और लाइसेंसिंग), भादूविप्रा से दूरभाष संख्या +91-11-23210481 पर संपर्क किया जा सकता है।

ह/-
(वि. रघुनंदन)
सचिव, भादूविप्रा